न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 560–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–1–2015 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 48/अपील/2012–13.

1– रामसिंह आ0 बीरनसिंह
2– दलीपसिंह आ0 रामसिंह
3– बाबूलाल आ0 रामसिंह
निवासीगण ग्राम दिलहारी
तहसील सिलवानी जिला रायसेन .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– प्रेमनारायण आ0 स्व. बीरनसिंह
2– अमानसिंह आ0 स्व. बीरनसिंह
3– गुलाब सिंह आ0 स्व. बीरनसिंह
4– जयराम आ0 स्व. बीरनसिंह
5– आशाराम आ0 स्व. बीरनसिंह
निवासीगण ग्राम दिलहारी
तहसील सिलवानी जिला रायसेन
6– श्रीमती भागवती देवी पुत्री स्व. बीरनसिंह
पत्नी खुशाली रजक निवासी ग्राम पुतर्रा
तहसील केसली जिला सागर
7– श्रीमती लक्ष्मी पुत्री स्व. बीरनसिंह
पत्नी रमेश कुमार बचारे
निवासी ग्राम बनखेड़ी सरदार नगर
तहसील बावई जिला होशंगाबाद
8– श्रीमती मीराबाई पुत्री स्व. बीरनसिंह पत्नी भागीरथ
9– श्रीमती रामकलीबाई पुत्री स्व. बीरनसिंह पत्नी प्रेमनारायण
निवासीगण ग्राम दिलहारी
तहसील सिलवानी जिला रायसेन
10– श्रीमती कस्तुरी बाई पुत्री स्व. बीरनसिंह
निवासी ग्राम तेन्दुखेड़ा
तहसील व जिला नरसिंहपुर .....अनावेदकगण

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/4/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–1–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रेमनारायण द्वारा नायब तहसीलदार, बम्होरी के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उभय पक्ष मृतक भूमिस्वामी बीरनसिंह की संतानें हैं । बीरनसिंह की दो पत्नियां तिजिया बाई एवं रम्मो बाई थीं । तिजिया बाई से अनावेदक कमांक 3, 4, 5, 8 एवं 10 तथा रम्मो बाई से आवेदक कमांक 1, अनावेदक कमांक 1, 2, 6, 7 एवं 9 संतानें थी । आवेदक कमांक 2 एवं 3 आवेदक कमांक 1 के पुत्र हैं । आवेदक कमांक 1 रामसिंह परिवार का मुखिया होने के नाते सम्पूर्ण भूमि का देखभाल करता था । अनावेदक कमांक 1 वर्ष 1999 में शिक्षाकर्मी के पद पर शासकीय सेवा में बाहर चला गया था, इसका फायदा उठाकर आवेदक कमांक 1 रामसिंह ने अपने पुत्रों आवेदक कमांक 2 एवं 3 के नाम भूमि दर्ज करा दी है तथा अनावेदक कमांक 1 के हिस्से में मात्र 10 एकड़ भूमि आई है, जबकि उसके हिस्से में 32.83 एकड़ भूमि आना चाहिए थी, अतः उसे अपने हिस्से की भूमि दिलायी जाकर नामांतरण किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 8/अ–27/10–11 दर्ज कर दिनांक 18–1–2011 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, सिलवानी के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 25–10–2012 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया एवं प्रकरण अनावेदक कमांक 6, 7, व 9 को उनके हक दिये जाने की स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि 5.18 एकड़ प्रदान करने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष

द्वितीय अपील प्रस्तुत किए जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 27–1–2015 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए :–

(1) अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसील न्यायालय में जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, उसमें सर्वे नम्बरों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, और न ही आवेदन पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेखों में उसके नाम दर्ज है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष के साथ अनावेदक कमांक 1 का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है कि संहिता की धारा 178 के अंतर्गत सह भूमिस्वामियों के मध्य ही बटवारा किया जा सकता है, और अनावेदक कमांक 1 का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है ।

(2) यह मान्य तथ्य है कि ग्राम डोंगरिया कला स्थित भूमि सर्वे नम्बर 7 रकबा 57.61 एकड़ भूमि 1965 में श्री काशीराम के नाम पर दर्ज थी, तत्पश्चात नामांतरण पंजी कमांक 2 पर पारित आदेश दिनांक 8–5–1965 से प्रश्नाधीन भूमि आवेदक कमांक 1 के नाम दर्ज हुई, बाद में आवेदक के वैधानिक उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज रहे हैं, और बीरनसिंह का नाम राजस्व अभिलेखों में कभी दर्ज नहीं रहा है, अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है कि आवेदक कमांक 1 द्वारा वारिसानों की जानकारी छिपाकर बटवारा आदेश पारित कराया गया है ।

(3) प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 1 का कोई स्वत्व नहीं था, क्योंकि उसका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है, और स्वत्व का निर्धारण का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर व्यवहार न्यायालय को है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में स्वत्व का निर्धारण करने में क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्व. बीरनसिंह के पुत्र–पुत्रियों को प्रश्नाधीन भूमि में हिस्सा दिया गया है, परन्तु इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि किन दस्तावेजों के आधार पर उन्हें प्रश्नाधीन भूमि पर हक एवं हिस्सा दिया गया है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त के आदेशों को निररस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त के समक्ष उठाये गये आधार ही उनके तर्क हैं । यह भी कहा गया कि आवेदक कमांक 1 ने सांठ–गांठ करके स्व. बीरन सिंह के वारिसानों की जानकारी छिपाते हुए प्रश्नाधीन भूमियां अपने नाम करा ली है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित है । तर्क में यह भी कहा गया कि भूमिस्वामी की मृत्यु उपरांत समस्त वारिसानों के नाम पर भूमि का विभाजन होना चाहिए था, परन्तु अनावेदक कमांक 1 द्वारा केवल अपने पुत्रों के नाम प्रश्नाधीन भूमियों का विभाजन कर नामांतरण कराने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, इस स्थिति पर बिना विचार किये तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक कमांक 1 का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया था, अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर अनावेदक कमांक 1 एवं स्व. बीरनसिंह के वारिसानों को प्रश्नाधीन भूमि में स्वत्व प्रदान करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 2 एवं 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा मृतक भूमिस्वामी बीरनसिंह के सभी वारिसानों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, क्योंकि स्व. भूमिस्वामी की पुत्रियां भी हैं, जो कि उनकी विधिक वारिसान है । उन्हें न तो किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई है, और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना साक्ष्य लिये सशर्त आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, क्योंकि प्रकरण में प्रथम दृष्टया स्वत्व का प्रश्न निहित है, जिसका निराकरण बिना साक्ष्य के नहीं किया जा सकता है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे मृतक भूमिस्वामी बीरनसिंह के सभी वारिसानों को विधिवत सूचना एवं सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण का नियमानुसार निराकरण करें ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–1–2015, अनुविभागीय अधिकारी, सिलवानी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–10–2012 एवं नायब तहसीलदार, बम्होरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–1–2011 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही कर निराकरण हेत तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर